उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग-6 अधिसूचना प्रकीर्ण

संख्या 1403 /11-6-2013-एम(47)/2010

लखनऊ :: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2013

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (राजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (राजपन्नित) सेवा (द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013 कही जाएगी। (2)-यह तूरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 में, जिसे आरे उक्त नियमावली कहा गया है नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया, नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती भर्ती का 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः स्रोत

- (1) उप आयुक्त- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम दो वर्ष की सेवा इस रूप में पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- (2) सहायक आयुक्त- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला आमोद और पणकर अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम तीन वर्ष की सेवा इस रूप में पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- (3) जिला आमोद और पणकर अधिकारी-आयोग के माध्यम से, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आमोद कर निरीक्षक, श्रेणी-एक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नित द्वारा।

निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः

- (1) संयुक्त आयुक्त- मौलिक रूप से नियुक्त उप आयुक्तों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- (2) उप आयुक्त- मौलिक रूप से नियुक्त सहायक आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम इ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा
- (3) सहायक आयुक्त- मौलिक रूप से नियुक्त जिला आमोद और पणकर अधिकारियों में ह जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- (4) जिला आमोद और पणकर अधिक मोलिक रूप से नियुक्त आमोद कर नियान से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवा इस रूप में कम से कम सात वर्ष ही से कर ली हो, विभागीय चयन समिति के मान से पदोन्नति द्वारा।

नियम-8 का संशोधन

उक्त नियमावली में नियम–8 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) और
 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख़ दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप-नियम

(1) जिला आमोद एवं पणकर अधिकारी के पदों पर (1) जिला आमोद और पणकर अधिकारी के पदों पदोन्नित द्वारा भर्ति समय–समय पर यथा पदोन्नित द्वारा भर्ति समय–समय पर यथा हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नित द्वारा भर्ति के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्न :-

(एक) आयुक्त अध्यक्ष सदस्य
(दो) संस्थागत वित्त विभाग,
उ०प्र० सरकार का एक अधिकारी
जो उप सचिव से निम्न स्तर का
न हो, जिसे प्रमुख सचिव यदि
प्रमुख सचिव न हों तो सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग द्वारा नाम
निर्देष्ट किया जायेगा।
(तीन) आयुक्त, द्वारा नाम
निर्देष्ट उपायुक्त

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(1) जिली आमीद और पंचितर जीवकरी अन्य पर पदोन्ति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्ति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (एक) आयुक्त अध्यक्ष (दो) मनोरंजन कर विभाग में सदस्य सरकार के उप सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी जो मनोरंजन कर विभाग में यथास्थित सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा (तीन) आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप आयुक्त से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी

टिप्पणी— चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जानत्यों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम निर्देशन समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा—7 के अधीन किये गये आदेशानुसार किया जाएगा।

(2) संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त और सहायक

आयुक्त के पदों पर पदोन्नित द्वारा भर्ती,

(2) उप आयुक्त और सहायक आयुक्त के पदों पर पदोन्नित द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर विभागीय समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसका गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :— (एक) सरकार में संस्थागत वित्त विभाग के सचिव। (दो) सरकार में कार्मिक विभाग के सचिव। (तीन) आयुक्त।

ज्येष्ठ सचिव, समिति का अध्यक्ष होगा।

समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नित समिति का गठन, सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नित द्वारा भर्ती के लिए मानदंड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदंडों के आधार पर

की जायेगी।

टिप्पणी— चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनतातियों और नागरिकों क अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा—7 के अधीन किये गर्य आदेशानुसार किया जाएगा।

नियम-९ का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नियम-9 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप-नियम

गयी सूची में आए हों, नियुक्तियां करेगा।

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों के नाम उसी कम में नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिसमें उनके नाम, नियम-8 के अधीन यथा लेकर, जिसमें उनके नाम, नियम-8 के अधीन चयन रिथित आयोग या चयन समिति द्वारा तैयार की समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा।

नियम-13 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नियम-13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के रथान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप-नियम इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये है :-

स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम (2) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (राजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमवाली, 2013 के प्रारम्भ के समय को वेतनमान नीचे दिये गये है :-

 	पद का नाम	वेतनमान
सं०	-	
1	उप आयुक्त	3000-100-3500-द0रो0-125-4500 रूपये।
2.	सहायक आयुक्त	2200-75-2800-द0रो0-100- 4000 रूपये
3	जिला आमोद और पणकर अधिकारी	2000-60-2300-द0रो0-75-3200 रूपये

Ф0	पद का नाम	वेतनमान
सं०		
1	संयुक्त आयुक्त	वेतन बैण्ड-3 रूपये 15,600-39,100 ग्रेड वेतन-7600
2	उप आयुक्त	वेतन बैण्ड-3 रूपये 15,600-39,100 ग्रेड वेतन-6600
3	सहायक आयुक्त	वेतन बैण्ड-3 रूपये 15,600-39,100 ग्रेड वेतन-5400
4	जिला आमोद और प्रणकर अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 रूपये 9,300-34,800 ग्रेड वेतन-4800

नियम-15 का निकाला जाना

6. उक्त नियमावली में, नियम-15 निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

7. उक्त नियमावाली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट (नियम–4(2) देखियें)

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट (नियम–4(2) देखियें)

ф <u>і</u> 0	पद का नाम	पदों की संख्या			
सं0		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	2	3	4	5	
1	उप आयुक्त	01	01	02	
2	सहायक आयुक्त	11	01	12	
3	जिला आमोद और पणकर अधिकारी	31	09	40	

कं0	पद का नाम	पदों की संख्या			
सं०		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	2	3	4	5	
1	संयुक्त आयुक्त	.01	_	01	
2	उप आयुक्त	06	-	. 06	
3	सहायक आयुक्त	14	-	14	
4	जिला आमोद और पणकर अधिकारी	42	17	59	

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार) प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constituion, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. dated

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG - 6 NOTIFICATION

Miscellaneous No. 1403 /11-6-2013-M(47)/2010 Dated Lucknow, 30-12-2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Gazetted) Service Rules 1992:

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENT AND BETTING TAX (GAZETTED) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2013

Short title commencement

and 1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Gazetted) Service (Second Amendment) Rules 2013.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5 2. In the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax (Gazetted) Service Rules, 1992, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column- 2 shall be substituted, namely:-

Column-1

Column-2 Existing rule Rule as hereby substituted

Source of

5. Recruitment to various Source of 5. Recruitment to the recruitment categories of posts in the recruitment various categories of posts Service shall be made from in the service shall be made the following sources;

(1) Deputy Commissioner-By promotion, through Departmental Selection Committee, from amongst substantively such appointed Assistant Commissioners as have completed at least two

from the following sources: (1) Joint Commissioner- By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Commissioners who have completed two years service as such on the fire

years of service as such on the first day of the year of recruitment.

- (2) Assistant Commissioner-By promotion, through Departmental Selection Committee, from amongst such substantively appointed District Entertainment and Betting Tax Officers as have completed at least three years of service as such on the first day of the year of recruitment.
- (3) District Entertainment and Betting Tax Officer - By promotion, through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Entertainment Tax Inspectors Grade-I as have completed at least seven years of service as such on the first day of the year of recruitment.

day of the recruitment.

- (2) Deputy Commissioner-By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Commissioners who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (3) Assistant Commissioner-By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed District Entertainment and Betting Tax Officers who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (4) District Entertainment and Betting Tax Officer - By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Entertainment Inspectors who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.

Amendment of rule 8

3. In the said rules, in rule 8, for existing sub-rules (1) and (2) set out in column-1 below, the sub-rules as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing sub rules Column-2

Sub-rules as hereby substituted

Departmental Selection Comprising:

(1) Recruitment by promotion to the post of (1) Recruitment by promotion to the post of District Entertainment Tax and Betting Tax District Entertainment and Betting Tax Officer Officer shall be made on the basis of seniority shall be made on the basis of the criterion laid subject to the rejection of unfit through the down in the Uttar Pradesh Government Committee Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Departmental Selection

Committee comprising:

(i) Commissioner Chairman (ii) An officer of the Member.

Institutional Finance Department, Uttar Pradesh Shasan not below the rank of Deputy Secretary, to be nominated by the Principal Secretary and if there is no Principal Secretary, by the Secretary, Institutional Finance Department.

(iii) Deputy Commissioner, Member nominated by the Commissioner.

(2) Recruitment by promotion to the posts of Committee as constituted below:

- Finance Department,
- Department,
- (iii) Commissioner.

The Senior Secretary shall be the Chairman of amended from time to time. the Committee.

(i) Commissioner (ii) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government in the Entertainment Tax Department to nominated by the Principal Secretary or Secretary to the Government in the Entertainment Tax Department, as the case

(iii) An officer not below the rank of Deputy Commissioner nominated by Commissioner.

may be.

-Member

-Chairman

-Member

NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(2) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Commissioner and Assistant Joint Commissioner, Deputy Commissioner and Commissioner shall be made, on the basis of Assistant Commissioner shall be made on the merit, through the Departmental Selection basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as (i) Secretary to Government in Institutional amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance (ii) Secretary to Government in Personnel with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as

> NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

Amendment of 4. In the said rules, in rule 9, for existing sub-rule (1) set rule 9 out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

> Column-1 Existing sub rule

Column-2 Sub-rule as hereby substituted

(1) Subject to the provisions of sub- (1) Subject to the provision of subrule (2), the appointing authority rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking shall make appointment by taking the the names of candidates in the order names of candidates in the order in in which they stand in the list which they stand in the list prepared prepared by the Commission or the by the Selection Committee under Selection Committee, as the case rule 8. may be, under rule 8.

Amendment of Rule 13 5. In the said rules, in rule 13, for existing sub-rule (2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1

Column-2

Existing sub rule

given below

Sub-rule as hereby substituted (2) The scales of pay at the time of the (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are commencement of the Uttar Pradesh Entertainment and Betting (Gazetted) Service (Second Amendment) Rules, 2013 are given below

Serial no.	Name of post	Scale of pay
Serial no.	Name of post	Scale of pay
(1)	Deputy	Rs. 3,000-100-3,500-
	Commissioner	E.B125 - 4,500.
(2)	Assistant	Rs. 2,200-75-2,800-
	Commissioner	E.B. 100- 4,000.
(3)	District	Rs. 2,000-60-2,300-
	Entertainment	E.B75-3,200
	and Betting Tax	
	Officer	

Serial no.	Name of post	Scale of pay
(1)	Joint Commissioner	Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 Grade Pay- Rs. 7,600.
(2)	Deputy Commissioner	Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 Grade Pay- Rs. 6,600.
(3)	Assistant Commissioner	Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 Grade Pay- Rs. 5,400.
(4)	District Entertainment and Betting Tax Officer	Pay Band-2 Rs. 9,300-34800 Grade Pay- Rs. 4800.

Omission of Rule 15

6. In the said rules, rule 15 shall be omitted.

Substitution of Appendix

7. In the said rules, for existing Appendix set out in column-1 below, the Appendix as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Appendix Appendix [See Rule 4(2)]

Column-2 Appendix as hereby substituted Appendix [See Rule 4(2)]

Serial no.	Name of post	Number of posts		
	- HS Q4	Perma - nent	Temp -orary	Total
1	2	3	4	5
1	Deputy Commissioner	01	01	02
2	Assistant Commissioner	11	01	12
3	District Entertainment and Betting Tax Officer	31	09	40

Serial no.	Name of post	Number of posts		
		Perma - nent	Temp -orary	Total
1	2	3	4	5
1	Joint Commissioner	01		01
2	Deputy Commissioner	06		06
3	Assistant Commissioner	14		14
4	District Entertainment and Betting Tax Officer	42	17	59

By order,

(Biresh Kumar) Principal Secretary